UPRP010039532026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट–अनन्य), रामपुर।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 608/2026

पंजीयन संख्या– 1037/2026

मनदीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

मु०अ०सं० 162/2026
धारा 109(1), 317(4),3(5)
भारतीय न्याय संहिता व धारा
3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना बिलासपुर, जिला रामपुर।

<u>20–07–2026</u>

आवेदक/अभियुक्त **मनदीप सिंह** की ओर यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं० 162/2026, धारा–109(1),317(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बिलासपुर, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमति सर्वजीत कौर का शपथ पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि वह उक्त प्रकरण में अभियुक्त की माता व पैरोकार मुकदमा है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है।

वादी मुकदमा के द्वारा थाना बिलासपुर, रामपुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 12/13.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर मय पुलिस बल के क्षेत्र में शांति व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में डिबडिबा गेट–मनिहार खेड़ा क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिलासपुर के मु0 अ 0 सं0 154/2026 से सम्बन्धित छिनैती करने वाले बदमाश दो मोटरसाइकिलों पर अवैध असलहों सहित किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में चन्देन मन्दिर की ओर से डिबडिबा की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग की गई। कुछ समय बाद दो बिना नम्बर प्लेट हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिलों को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु चालक भागने लगे और कच्चे मार्ग में फिसलकर गिर गए। पुलिस के पास पहुँचने पर दो अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिससे पुलिसकर्मी बाल–बाल बचे। अभियुक्तों द्वारा आत्मसमर्पण न करने एवं पुनः फायर करने का प्रयास करने पर पुलिस ने आत्मरक्षा एवं न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पैरों की ओर जवाबी फायरिंग की, जिससे दो अभियुक्त घायल हो गए तथा तीन अन्य अभियुक्तों को मौके पर घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्तों ने अपने नाम जसपाल उर्फ जस्सा पुत्र मुख्तियार सिंह तथा मनदीप सिंह पुत्र शमशेर सिंह बताए। जसपाल के कब्जे से एक देशी तमंचा .315 बोर, जिसकी नाल में एक फायर किया हुआ खोखा कारतूस फंसा था, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, ₹2,700/–

Digitally signed by INDRA PRAKASH
Date: 2026.07.20 15:22:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा एक वीवो मोबाइल फोन बरामद हुआ। मनदीप सिंह के कब्जे से एक देशी तमंचा .315 बोर, जिसकी नाल में एक फायर किया हुआ खोखा कारतूस फंसा था, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, टेक्नो स्पार्क मोबाइल फोन, ₹1,900/– बरामद हुए। दोनों अभियुक्त अवैध हथियारों का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ बिलासपुर, रुद्रपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लूट एवं छिनैती की घटनाएँ करना स्वीकार किया तथा दिनांक 06.05.2026 को डिबडिबा क्षेत्र में एक व्यक्ति से बैग छीनकर ₹45,000/– एवं दो मोबाइल फोन (टेक्नो स्पार्क एवं सैमसंग) लूटने की घटना स्वीकार की। बरामद टेक्नो मोबाइल को उक्त घटना का लूटा हुआ मोबाइल बताया तथा बताया कि नकदी आपस में बाँटकर अधिकांश खर्च कर दी गई। गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों ने अपने नाम हर्षदीप पुत्र कुलदीप, अमृत सिंह उर्फ गंजू पुत्र बलविन्दर सिंह तथा जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा पुत्र मुख्तियार सिंह बताए। इनके कब्जे से क्रमशः 03 अवैध चाकू, दो सैमसंग कीपैड मोबाइल, तथा ₹3,200/–, ₹4,200/– एवं ₹3,100/– नकद बरामद हुए। बरामद मोबाइलों के सम्बन्ध में अभियुक्तों ने बताया कि वे भी छिनैती की घटनाओं से प्राप्त किए गए थे। अभियुक्तों के कब्जे से दो हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिलें (एक काली एवं एक सिल्वर रंग की, दोनों बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुईं। ई–चालान ऐप से जाँच करने पर दोनों वाहनों का पंजीकरण अलग–अलग व्यक्तियों के नाम पाया गया। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि इन्हीं मोटरसाइकिलों का उपयोग दिनांक 06.05.2026 की छिनैती एवं अन्य घटनाओं में किया गया था। घायल अभियुक्तों को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी बिलासपुर भेजा गया, जहाँ से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। घटना की सूचना कंट्रोल रूम एवं फील्ड यूनिट को दी गई। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए तथा हथियार, कारतूस, मोबाइल, नकदी, रक्तरंजित एवं सादी मिट्टी, हैंड स्वैब आदि नियमानुसार सील कर कब्जे पुलिस में लिए गए। दोनों मोटरसाइकिलों की मौके पर चिटबंदी की गई। रात्रि का समय होने के कारण कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। अभियुक्तगण थाना बिलासपुर पर पंजीकृत मु0 अ 0 सं0 154/2026 धारा 304(2) बीएनएस में प्रकाश में आए, जिसके आधार पर उक्त मुकदमे में धारा 317(3) बीएनएस की वृद्धि की गई। साथ ही पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला एवं अवैध हथियार रखने के कारण अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 109(1) (पुलिस मुठभेड़), 3(5), 317(4) बीएनएस तथा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार गिरफ्तारी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.05.2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसकी वृद्ध एवं विधवा माता उसी पर आश्रित है। प्रार्थी परिवार का एकमात्र भरण–पोषण करने वाला सदस्य है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है तथा उसने अभियोजन में वर्णित कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे रंजिशवश एवं झूठे तथ्यों के आधार पर इस मुकदमे में फँसाया गया है। प्रार्थी के कब्जे से किसी भी प्रकार का चोरी का माल अथवा अवैध शस्त्र वास्तविक रूप से बरामद नहीं हुआ है तथा दर्शाई गई समस्त बरामदगी झूठी, मनगढ़ंत एवं बनावटी है। प्रार्थी द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से कोई फायरिंग नहीं की गई तथा कथित पुलिस मुठभेड़ में पुलिस बल के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है, जिससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण घटना झूठे एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को फँसाने के उद्देश्य से गढ़ी गई है। यह प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है तथा इससे पूर्व

इस वाद में कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है। प्रार्थी ग्राम गोकल नगरी, निकट चीनी मिल, थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर का स्थायी निवासी है, अतः उसके फरार होने अथवा न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित प्रत्येक शर्त का पालन करने तथा सक्षम एवं विश्वसनीय प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए तैयार एवं बाध्य है। अतः न्यायहित में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकृत कर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्र से फायर किया गया है तथा अभियुक्त के कब्जे से दो अदद तंमचे 315 बोर जिनकी नालों में फंसे एक–एक– खोखा कारतूस व चार जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुये है। अभियुक्त के विरुद्ध अंकित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्र से फायर करने का, दो अदद तंमचे 315 बोर, चार जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने का आरोप है।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस पार्टी के किसी भी भी सदस्य पर आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित नहीं किया गया है। सभी गवाह पुलिस कर्मी है, जनता का कोई गवाह नहीं है। सहअभियुक्त अमृत सिंह उर्फ गंजू की जमानत पूर्व में हो चुकी है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में दिनांक 13–05–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है।

अतः मामले के समस्त तथ्यो, परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मनदीप** की ओर से मु०अ०सं० 162/2026, धारा–109(1),317(4),3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बिलासपुर, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा रूपये 50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को उक्त प्रकरण में जमानत पर मुक्त किया जाये।

(इन्द्र प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),
रामपुर।
J.O.I.D.U.P.6366
<u>20.07.2026</u>